संख्या—217 / पचासी—2011—10(परती भूमि) / 08टीसी(क)

प्रेषक,

संजय कृष्ण,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 भूमि सुधार निगम,
गोमतीनगर, लखनऊ।

परती भूमि विकास अनुभाग लखनऊःदिनांकः 25 अप्रैल, 2011

विषय—उ0प्र0 भूमि सुधार निगम व्दारा संचालित उ0प्र0सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना—तृतीय के कार्यान्वयन हेतु निगम की सेवा नियमावली के अन्तर्गत सृजित पदों के सापेक्ष रिक्त पदों को भरने की अनुमति में शर्त का शिथिलीकरण।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—1ए / 206 / 2009 / 2बीसी / भाग—3 / 2059, 11—3—2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय आपके प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या—508 / पचासी—2009—10(परतीभूमि) / 08टीसी(क), दिनांक 16—9—2009 के प्रस्तर—1 की शर्त संख्या—(ड0) प्रोन्नत कर्मचारी परियोजना अवधि तक ही प्रोन्नति पद पर कार्यरत रहेगा", को एतद्व्दारा विलोपित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2— संदर्भित शासनादेश दिनांक 16—9—2009 की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(संजय कृष्ण)
संयुक्त सचिव।

संख्या—217 (1) / पचासी—2011—तद्दिनांक—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार,लेखा एवं हकदारी(प्रथम) / लेखा परीक्षा(प्रथम) उ0प्र0,इलाहाबाद।
2— वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
3— प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4— निजी सचिव,मा0राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार),परती भूमि विकास विभाग।
5— स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त,उ0प्र0शासन।
6— वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—1
7— अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(संजय कृष्ण)
संयुक्त सचिव।